बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता(याँ0) का कार्यालय
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 05/2023–24

पत्रांक :– 76 भागलपुर/ दिनांक :– 13/02/2024

1	निविदा आमंत्रित करने की तिथि	:–	13.02.2024
2	निविदा आमंत्रण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	:–	कार्यपालक अभियंता (याँ0) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर।
3	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय	:–	दिनांक 22.02.2024 से 27.02.2024 अपराहन् तक (कार्य अवधि में)
4	तकनीकी एवं वित्तीय बोड प्राप्ति की तिथि एवं समय	:–	28.02.2024 अपराहन 3:00 बजे तक
5	तकनीकी बोड खोलने की तिथि एवं समय	:–	28.02.2024 अपराहन् 3:30 बजे क्रमांक 7 में वर्णित स्थानों में।
6	वित्तीय बोड खोलने की तिथि एवं समय	:–	अलग से सूचना दी जायगी।
7	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:–	1. अधीक्षण अभियंता (याँ0) सिंचाई यॉत्रिक अचल, मीठापुर, पटना। 2. कार्यपालक अभियंता (याँ0) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर। 3. मुख्य अभियंता (याँ0) जल संसाधन विभाग, पटना
8.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:–	क्रमांक 7 में वर्णित स्थानों में।

9. कार्य का विवरण –

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	अनुमानित प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (नही लौटाने योग्य)	कार्य समाप्ति की तिथि
I	Painting and jungle clearance work for 900mm and 1200mm dia pipe line and painting work of trash rack , pathway, gangway and railing for Ganga pump canal scheme ,bateshwarsthan ,kahalgaon Stage II	1017400	20400	Rs.2500	15 Days
II	Supply & filling of transformer oil & filtration machine at 33/6.6KV sub-station and repair and maintenance of CT/PT/VCB etc. Ganga pump canal scheme(GPCS) bateshwarsthan, kahalgaon stage-I	1494838	29900	Rs. 2500	15 Days

(हस्ताक्षर) 13.02.24

(ई0 संजीव कुमार)
कार्यपालक अभियंता(याँ0)
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

निविदा के नियम एवं शर्त

10. निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफा में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा।
    (क) प्रथम लिफाफा :–तकनीकी लिफाफा जिसमें G.S.T, स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र, ग्रुप सं0 02 के कार्य हेतु विद्युत ठीकेदारी लाईसेंस, चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर पैन नम्बर, शपथ पत्र, तथा वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा।
    (ख) द्वितीय लिफाफा :– वित्तीय निविदा लिफाफा में परिमाण विपत्र पर दर उधृत कर (अंक एवं अक्षरों दोनों में) जमा करना होगा।

    प्रथम लिफाफा उपरोक्त माप दण्डों के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं का ही सिर्फ दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) खोला जाएगा। अयोग्य निविदादाताओ का दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) यथावत् संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा।
11. अग्रधन की राशि विधिवत् कार्यपालक अभियता, क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित करना होगा। अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवाँ निर्गम) या डाकघर सावधि जमा पासबुक (एक/दो/तीन वर्षीय) के रूप में जमा करना मान्य होगा। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि होगी, जो प्राक्कलित राशि का (2%) दो प्रतिशत होगा।
12. परिमाण विपत्र में अंकित राशि घट–बढ़ सकती है। इसलिए परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।
13. निविदादाता को स्थानीय चतुर्थ श्रेणी में निबंधित होना आवश्यक है, तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. ग्रुप सं0 02 का कार्य Electrical कार्य से संबंधित है। अतः वे ही संवेदक इस कार्य के लिए मान्य होगें जिनके पास विद्युत कार्य करने का लाईसेंस प्राप्त होगा।
15. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त की जायेगी एवं खोली जायेगी।
16. निविदादाताओं को पूर्व के संपादित कार्य भी नये कार्य आवंटन के लिए एक आधार होगा।
17. प्रभारी अभियता के निदेशानुसार एवं विशिष्ठियों के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।
18. निविदा निष्पादन के दौरान वैस निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा जिस के विरूद्ध विभाग में कालीकरण की कार्यवाई की जा रही हो अथवा कार्य–कलाप संदेहास्पद हो।
19. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्यादेश प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर देना होगा। अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
20. निविदा की अन्य शर्त्त परिमाण विपत्र में संलग्न रहेगी जो मान्य होगा।
21. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो ले एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दण्डात्मक कारवाई के भागी होंगे।
22. कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा।
23. जी0एस0टी0, आयकर एवं सेस की कटौती नियमानुसार संवेदक के विपत्र से ही की जायेगी।
24. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा।
25. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होंगे।
26. सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के उपरान्त एकरारनामा के समय स्वीकृत निविदा राशि के 3% (तीन प्रतिशत) जमानत की राशि राष्ट्रीय **कृत बैंक से निर्गत** TDR या राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवाँ निगर्म) या सावधि जमा पासबुक जो विधिवत अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञित हो, जमा करना होगा। 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि जमानत राशि के रूप में विपत्र से काट ली जायेगी। जो कार्य पूर्ण होने एवं सभी पहलुओं को जाँच करने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
27. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यों को कर देना निविदादाताओं के लिए वाध्यकारी होगा। किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में समय वृद्धि की स्वीकृति मुख्य अभियता (याँ0) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दी जा सकेगी। कार्य सम्पादन में विलम्ब के कारण भुगतान में होनेवाली कठिनाई के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
28. कार्य का एकरारनामा एफ0 2 (कंडिका–23 को विलोपित) पर किया जायेगा।
29. जी0 एस0 टी0 एवं आयकर की कटौती नियमानुसार विपत्र से की जायगी ।

30. श्रमिक कल्याण निधि मद में लेबर सेस 1% प्रतिशत दर की कटौती की जायगी।

31 सामग्रियाँ ख्याति प्राप्त निर्माता से निर्मित एवं अधिकृत बिक्रेता से खरीदी गई है, माँगे जाने पर संवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

32. निम्न आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। " I the undersigned do here by certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged , the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."

33 एक से अधिक निविदादाता के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार निर्माण सहिता के नियम– 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायगा।

34. विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में संवेदको को जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

35. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम दर उद्धृत करने पर पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 447 (5) दिनांक 16.01.2020 सह पठित ज्ञापांक 448 (5) दिनांक 16.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 के क्रम मे अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Gurantee) जमा करना होगा।

ह0/–
(ई0 संजीव कुमार)
कार्यपालक अभियंता(यॉ0)
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

पत्रांक– 76 भागलपुर/दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकरी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इस अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन बिहार राज्य स्थित दैनिक समाचार पत्र मे कराने की कार्रवाई की जाय।

(ई0 संजीव कुमार)
कार्यपालक अभियंता(यॉ0)
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर।